

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, सांनिवि०,  
सांनिध्य परीक्षण वर्ग

परिपत्र सं०:- 44पी. डब्लू./5822एमटी/52एम-44/89  
फाईल सं० 265सेतु-31/89

लखनऊ दि० 17-11-1989

परिपत्र

इस कार्यालय से सेतु की स्थल-चयन समिति के संबंध में परिपत्र संख्या 425/5सेतु/89, दिनांक 28.3.89 निर्गत किया गया है, वह केवल मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के मैदानी भाग के लिए है। पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ी भाग के सेतुओं के स्थल-चयन समिति के संबंध में जो परिपत्र पूर्व में विभिन्न मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जारी किये गये हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है। भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ी भाग के सेतुओं के स्थल-चयन हेतु चयन समितियाँ निम्न प्रकार से गठित की जाती हैं :-

**क। पैदल पुल हेतु:**

उन सेतुओं के लिए स्थल-चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. संबंधित अधिभासी अभियन्ता।
2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।

यदि समिति आवश्यक समझती है कि भूगर्भवत्ता की राय आवश्यक है तो सांनिवि० के सहायक भूगर्भवत्ता को आमन्त्रित किया जा सकता है।

**ख। मीटर पुल हेतु:**

**अ। 30 मीटर जलपथ तक के सेतुओं के लिये स्थल-चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-**

1. संबंधित अधिभासी अभियन्ता।
2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।

यदि समिति आवश्यक समझती है कि भूगर्भवत्ता की राय आवश्यक है तो सांनिवि० के सहायक भूगर्भवत्ता को आमन्त्रित किया जा सकता है।

**ब। 30 मीटर से अधिक जलपथ के सेतुओं के लिये स्थल-चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-**

1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।
2. समीप के वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता।
3. सांनिवि० के भूगर्भवत्ता/सहायक भूगर्भवत्ता।

स्थल-चयन समितियों स्थल-चयन करते समय नदी के किनारों पर चट्टानों की सुदृढ़ता, जल-प्रवाह के आधार पर सेतु की लम्बाई नदी के चलने वाले मैटोरिफ्ल के आधार पर फ्री बोर्ड तथा सेतु की विविध आयामकताओं, कैरेज-वे, पैदलपथ आदि पर निर्णय लेगी।

मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय समन्वय।